हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3.2.23 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस सुनी गई प्रकरण मे वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र अनुसार अपनी बहस इस प्रकार से कि है। कि मौजा पारसोली मे वादी की पुश्तेनी खातेदारी व कब्जे काश्त आधिपत्य की खाता स.478. आ.स.1 व 2. रकबा 2.1500 है. मे विपक्षी स.1. नलिया मे मस्टरोल चला नरेगा कार्य करते हुए प्रार्थी कि कृषि भूमि मे नाडी निर्माण हेतू खुदाई का कार्य कराया जा रहा है। और भूमि का स्वरूप बिगाडा जा रहा है। जिसे रोका जाकर विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर प्रार्थी कि खातेदारी व कब्जे काश्त कि कृषि आराजियात मे किसी प्रकार कि दखल अंदाजी न तो स्वंय करे न किसी अन्य से करावें। अत: प्रा.पत्र स्वीकार फरमाया जावे। पैरोकार सरकार द्वारा अपनी जवाबी बहस इस प्रकार से निवेदन किया है कि आ.स. 1 व 2 मौजूदा रिकार्ड व मौके की स्थिति पर नाडी दर्ज होकर राजकिय प्रयोजनार्थ आराक्षित सेट अपार्ट हिस्सा पूर्ण सरकारी भूमियां दर्ज रिकार्ड है। अत: प्रा.पत्र स्वीकार योग्य नही है। प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस को ध्यान पूर्वक सुना जाने के पश्चात दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रकरण मे जवाब प्रा.पत्र के साथ सलग्न जमाबंन्दी सवत् 2078-2078 के खाता स. 457 मे आ.स. 1 व 2 नलीया व पठार राजकिय प्रयोजनार्थ आराक्षित सेट अपार्ट [illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना [illegible] नही समझते है। अत: प्रार्थी का प्रा.पत्र [illegible] 212 R [illegible] का अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली [illegible] शुमार हो कर नम्बर से कम हो। फैसल प्रा.पत्र मूल वाद के साथ सलग्न किया जावे।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.22 16:51:24 IST
Reason: SelfAttested